

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 71/स्टेनो/2025

रीवा, दिनांक 29.03.2025

आदेश

29.03.2025

माह **अप्रैल** के सार्वजनिक अवकाशों में दाण्डिक प्रकरणों के संबंध में अत्यावश्यक कार्य (जमानत, रिमाण्ड, सुपुर्दनामा) हेतु एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट दोपहर 3:00 बजे से 5:00 बजे तक अपने-अपने न्यायालय में उपस्थित होकर रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय परिसर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान प्रस्तुत होने वाले समस्त रिमाण्ड आवेदनों का निराकरण उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा, 05.00 बज जाने के कारण रिमाण्ड कार्य अधूरा छोड़कर नहीं जायेंगे।

| क्र. | अधिकारी का नाम | माह अप्रैल-2025 |
|------|--|-----------------|
| 1. | श्रीमती अश्विनी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा (म0प्र0) | 06-04-2025 |
| 2. | श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा (म0प्र0) | 10-04-2025 |
| 3. | श्री मुकेश कुमार कोरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा (म0प्र0) | 13-04-2025 |
| 4. | श्रीमती आरती सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा (म0प्र0) | 14-04-2025 |
| 5. | सुश्री कंचन सैनिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा (म0प्र0) | 18-04-2025 |
| 6. | सुश्री स्वाति रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा (म0प्र0) | 19-04-2025 |
| 7. | श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा (म0प्र0) | 20-04-2025 |
| 8. | श्री शैलेन्द्र रैकवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा (म0प्र0) | 27-04-2025 |

तहसील न्यायालय सिरमौर

| क्र. | अधिकारी का नाम | माह अप्रैल-2025 |
|------|--|--|
| 1. | श्रीमती भारती केशरी कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिरमौर जिला रीवा (म0प्र0) | 06-04-2025 10-04-2025 13-04-2025 14-04-2025 |

✓

| | | |
|----|--|--|
| 2. | सुश्री पूर्णिमा सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0) | 18-04-2025 19-04-2025 20-04-2025 27-04-2025 |
|----|--|--|

तहसील न्यायालय मऊगंज

| क. | अधिकारी का नाम | माह अप्रैल-2025 |
|----|--|--------------------------|
| 01 | श्री युवराज दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0) | 06-04-2025 10-04-2025 |
| 02 | श्री साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0) | 13-04-2025 14-04-2025 |
| 03 | श्री महादेव पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0) | 18-04-2025 19-04-2025 |
| 04 | सुश्री ओशी जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0) | 20-04-2025 27-04-2025 |

तहसील न्यायालय हनुमना

| क. | अधिकारी का नाम | माह अप्रैल-2025 |
|----|---|--|
| 1. | श्रीमती कीर्ति दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हनुमना जिला रीवा (म0प्र0) | 06-04-2025 10-04-2025 13-04-2025 14-04-2025 18-04-2025 19-04-2025 20-04-2025 27-04-2025 |

तहसील न्यायालय त्योंथर

| क. | अधिकारी का नाम | माह अप्रैल-2025 |
|----|---|--------------------------|
| 1. | श्री आशुतोष प्रताप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी त्योंथर जिला | 06-04-2025 10-04-2025 |

✓

| | | |
|----|---|--|
| | रीवा (म0प्र0) | 20-04-2025 |
| 2. | श्रीमती मोहिनी भदौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी त्योंथर जिला रीवा (म0प्र0) | 13-04-2025 14-04-2025 27-04-2025 |
| 3. | श्रीमती कामिनी प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी त्योंथर जिला रीवा (म0प्र0) | 18-04-2025 19-04-2025 |

तहसील न्यायालय मनगवां

| क्र. | अधिकारी का नाम | माह अप्रैल-2025 |
|------|--|--|
| 1. | श्री यश अबिद्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनगवां जिला रीवा (म0प्र0) | 06-04-2025 10-04-2025 13-04-2025 14-04-2025 18-04-2025 19-04-2025 20-04-2025 27-04-2025 |

नोट:-

(1) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अथवा म0प्र0 शासन द्वारा अप्रैल में आकस्मिक/सामान्य अवकाश घोषित होने पर मुख्यालय रीवा, तहसील मऊगंज, तहसील सिरमौर, तहसील हनुमना, तहसील त्योंथर एवं तहसील मनगवां में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उपस्थित रहेंगे उनमें से जूनियर द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जायेगी।

(2) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण या स्थानान्तरण की दशा में उनके न्यायालय का कार्य देखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उनके द्वारा प्रशिक्षण पर जाने की सूचना दी जायेगी तथा उनके न्यायालय का कार्य देखने वाले प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे।

(3) यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमाण्ड ड्यूटी तिथि पर अवकाश पर जाना चाहते हैं तो वह किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपने स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु लिखित सहमति प्राप्त कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करने के बाद अवकाश पर जायेंगे।

(4) किशोर न्यायबोर्ड से संबंधित प्रकरणों में रिमाण्ड कार्य प्रिन्सिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड करेंगे। उनके अवकाश/स्थानान्तरण पर होने की दशा में प्रिन्सिपल मजिस्ट्रेट उनके बोर्ड में पदस्थ सामाजिक कार्यकर्ताओं में से किसी की ड्यूटी निर्धारित

L

कर इस न्यायालय को सूचित करेंगे।

(5) उक्त शासकीय अवकाशों में यदि पुलिस विभाग द्वारा काम्बिंग गश्त की जाती है तो निम्ननुसार अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे—

1- श्री रंजीत भदकारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रीवा म0प्र0।

(अरुण सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

प्रतिलिपि:-

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रीवा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रीवा।
2. जिला नाजिर, जिला न्यायालय रीवा को उपरोक्त तिथियों में संबंधित न्यायालय खुले रखने हेतु सूचनार्थ।
3. कोर्ट मैनेजर रीवा को, जिला रीवा (म.प्र.) के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा / मऊगंज / त्योंथर / सिरमौर / हनुमना / मनगवां जिला रीवा को एसएमएस द्वारा सूचना भेजने हेतु प्रेषित।
- ✓4. श्री उदयभान पटेल, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट रीवा को, जिला रीवा (म.प्र.) के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा / मऊगंज / त्योंथर / सिरमौर / हनुमना / मनगवां जिला रीवा को ई-मेल द्वारा भेजने हेतु प्रेषित।
5. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल रीवा।
6. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ रीवा / मऊगंज / त्योंथर / सिरमौर / हनुमना / मनगवां को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरुण सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा म0प्र0